न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 518 / 2022 निर्णय दिनांक :– 04.03.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. सांवरलाल पुत्र मोहनलाल जाति महाजन उम्र बालिग निवासी बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज०
2. गिर्राज पुत्र मोहनलाल जाति महाजन उम्र बालिग निवासी बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज०
3. राजकुमारी पुत्री मोहनलाल जाति महाजन उम्र बालिग निवासी बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज०

–अप्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय,देवली, जिला–टोंक राज०

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :–

श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता मोहनलाल पुत्र फूलचन्द की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि साबिक खसरा नम्बर 1370 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम बीजवाड पटवार हल्का बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। उक्त आराजी मे प्रार्थीगण के पिता मोहनलाल का 1/2 हिस्सा है। उक्त आराजी भूमि साबिक खसरा नम्बर 1370 के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थीगण के पिता का नाम मोहनलाल पुत्र फूलचन्द दर्ज है जो सही है। ग्राम बीजवाड पटवार हल्का में संग्रामपुरा नवीन ग्राम सृजित जाने के कारण उक्त साबिक खसरा नम्बर 1370 के नम्बर 1545 रकबा 0.10 है0 बनाये गये है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा नवीन ग्राम बन जाने के बाद हाल खसरा नम्बर 1545 की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे त्रुटिवश प्रार्थीगण के पिता का नाम मोहनलाल पुत्र अमोलक अंकित कर दिया जो गलत है। प्रार्थीगण के पिता का नाम मोहनलाल पुत्र फूलचन्द पूर्व की जमाबंदी में सही अंकित हो रखा है परन्तु उसके बाद हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 में प्रार्थीगण के पिता का नाम सहवन से मोहनलाल पुत्र अमोलकचन्द गलत अंकित हो गया है इस कारण से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम मोहनलाल पुत्र अमोलकचन्द के बजाय मोहनलाल पुत्र फूलचन्द अंकित किया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत अंकन होने से

प्रार्थीगण को काफी परेशानी हो रही है तथा प्रार्थीगण के नाम नामांतकरण नही खुल पा रहा है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नही कर पा रहे है ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम न्यायहित में दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि के सहखातेदारान के खिलाफ किसी प्रकार की रिलिफ नही चाही गयी है इस कारण उन्हें पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी हाल खसरा नम्बर 1545 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम बीजवाड़ पटवार हल्का बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज० मे प्रार्थीगण के पिता का नाम दुरुस्त किया जाकर मोहनलाल पुत्र अमोलकचन्द के बजाय मोहनलाल पुत्र फूलचन्द जाति महाजन निवासी बीजवाड़ अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

पेरोकार सरकार देवली ने तहसीलदार देवली की ओर से जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:–

1. ग्राम बीजवाड़ के आ. नं. 1370 रकबा 0.10 है0 भू–प्रबन्ध जमाबन्दी में वादीगण के के पिता का नाम मोहन लाल पुत्र फोलचन्द हिस्सा 1/2 जाति महाजन दर्ज रिकॉर्ड है।

2. ग्राम बीजवाड़ के आ.न. 1370 रकबा 0.10 है0 जमाबंदी सम्वव 2046– 2049 में भी वादीगण के पिता का नाम मोहनलाल पुत्र फोलचन्द हिस्सा 1/2 महाजन दर्ज रिकार्ड है।

3. ग्राम बीजवाड़ के आ. न. 1370 रकबा 0.10 है० जमाबन्दी सं. 2050–2053 में वादीगण के पिता का नाम मोहनलाल पुत्र अमोलकचन्द दर्ज हो गया जो गलत दर्ज हुआ है

4. ग्राम बीजवाड़ से नवीन राजस्व ग्राम संग्रामपुरा बनने से बीजवाड़ के साबिक आ. नं. 1370 के नवीन आ. न. 1545 बने है। (मिलान क्षेत्रफल की प्रति संलग्न है)

इस प्रकार सं. 2050–2053 की जमाबन्दी मे वादीगण के पिता का नाम मोहनलाल पुत्र फोलचन्द के स्थान पर मोहनलाल पुत्र अमोलक चन्द दर्ज हो गया जो गलत होने से वादीगण के पिता का नाम मोहनलाल पुत्र अमोलकचन्द 1/2 महाजन के बजाय मोहनलाल पुत्र फोलचन्द 1/2 महाजन दर्ज किया जाना उचित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो का ही दोहरान किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार आराजी भूमि साबिक खसरा नम्बर 1370 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम बीजवाड मे प्रार्थीगण के पिता का नाम मोहनलाल पुत्र फूलचन्द दर्ज है जो सही है। ग्राम बीजवाड पटवार हल्का में संग्रामपुरा नवीन ग्राम सृजित जाने के कारण उक्त साबिक खसरा नम्बर 1370 के नम्बर 1545 रकबा 0.10 है0 बनाये मे त्रुटिवश प्रार्थीगण के पिता का नाम

मोहनलाल पुत्र अमोलकचन्द अंकित कर दिया जो गलत है। जिसको प्रार्थीगण अपने पिता का नाम मोहनलाल पुत्र अमोलकचन्द के बजाय मोहनलाल पुत्र फूलचन्द शुद्ध करवाना चाहते है।

पत्रावली पर उपलब्ध भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2046–65 वाके ग्राम बीजवाड के खाता संख्या 309 कॉलम संख्या 4 में मिश्रीलाल रतन लालू पुत्र जतन बाई पुत्री श्रीपाल 1/2 मोहनलाल पुत्र फोलचन्द 1/2 जाति महाजन सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग की अन्य जमाबन्दी सम्वत 2046–65 वाके ग्राम बीजवाड के खाता संख्या 311 कॉलम संख्या 4 में मोहनलाल पुत्र फोलचन्द जाति महाजन सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी सम्वत 2050–53 वाके ग्राम बीजवाड़ में कॉलम संख्या 4 ख. नं. 1370 में मोहनलाल पुत्र अमोलकचंन्द 1/2 दर्ज है। ग्राम बीजवाड़ से नये राजस्व ग्राम संग्रामपुरा बन जाने से साबिक ख. नं. 1370 से ख. नं. 1545 बनना दर्शित है। पेरोकार सरकार ने अपने जवाब में मोहनलाल पुत्र अमोलकचन्द 1/2 महाजन के बजाय मोहनलाल पुत्र फोलचन्द दर्ज किया जाना उचित है, पेश किया है।

उक्त दस्तावेजो का अवलोकन करने पर यह यह तथ्य सामने आते है कि सेटलमेंट के बाद बनी जमाबंदी सम्वत 2050–53 को तैयार करते समय त्रुटिवश प्रार्थीगण के पिता का नाम मोहनलाल पुत्र फूलचन्द के बजाय मोहनलाल पुत्र अमोलकचन्द दर्ज रिकॉर्ड हो गया जिसको प्रार्थीगण ने शुद्ध करवाने हेतु उक्त दस्तावेजो को आधार लेते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है।

उक्त विवेचन करने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 478 ख. नं. 1545 रकबा 0.10 है0 में दर्ज मोहनलाल पुत्र अमोलकचन्द हिस्सा 1/2 जाति महाजन के स्थान पर मोहनलाल पुत्र फूलचन्द हिस्सा 1/2 जाति महाजन दर्ज करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 04.03.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली